Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

आज क्या पढ़ेंगे ?



1. चुनाव
2. राजनीतिक व्यवस्था

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

चुनाव क्या

चुनाव क्यों ?

प्रणाली



लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक ?

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

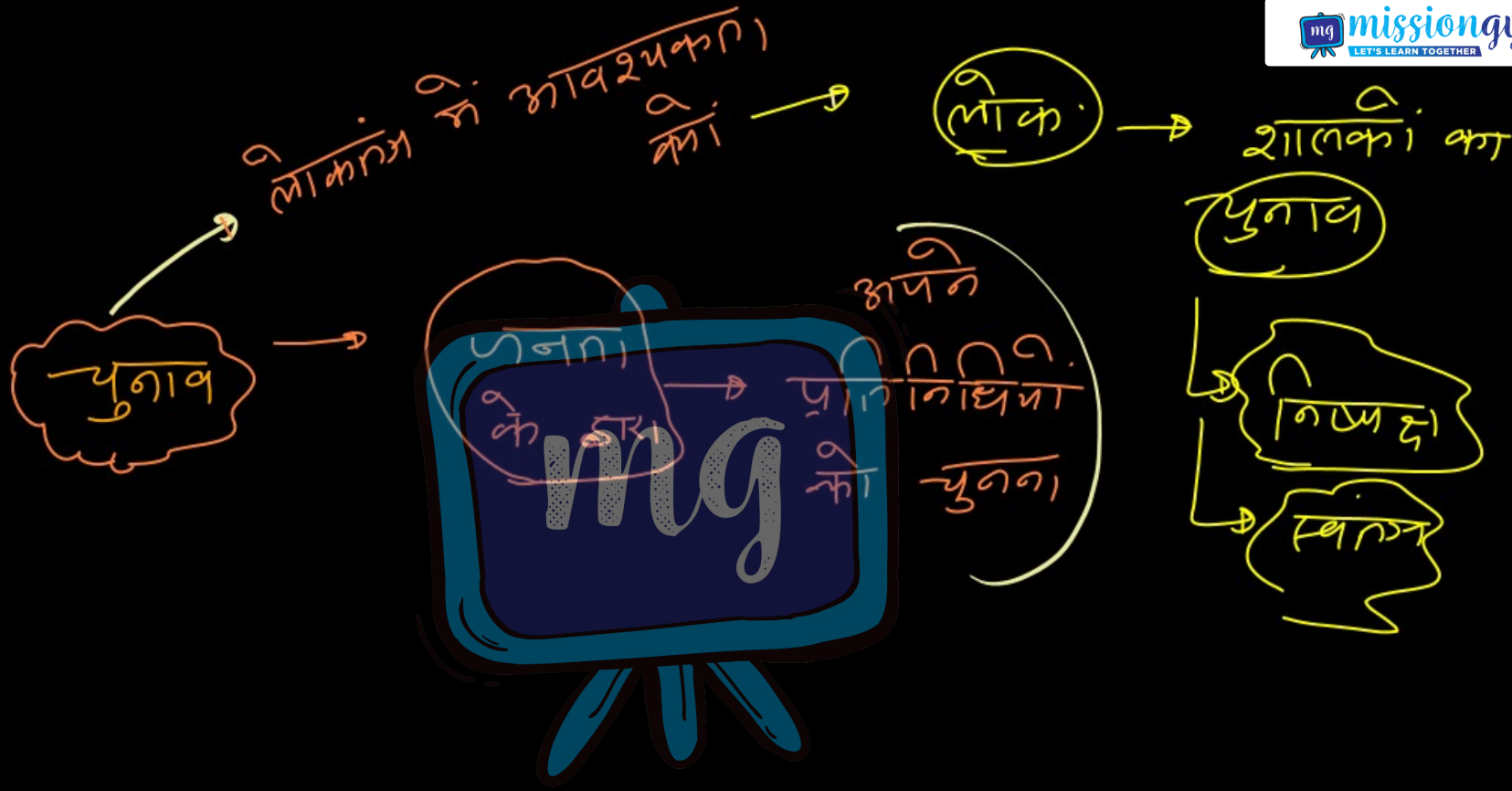

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

हरियाणा में 1987 का विधानसभा चुनाव

- चौधरी देवीलाल
- 'न्याय युद्ध'
- लोकदल



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

चुनाव

एक ऐसी व्यवस्था, जिसके माध्यम से लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें।





Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



हमें चुनावों की जरूरत क्यों है?

1. लोग सभी फैसले नहीं ले सकते।
2. लोगों के पास पर्याप्त समय व ज्ञान का अभाव।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं

- वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं।
- वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं।
- वे सरकार और उसके द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों का दिशा-निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं?

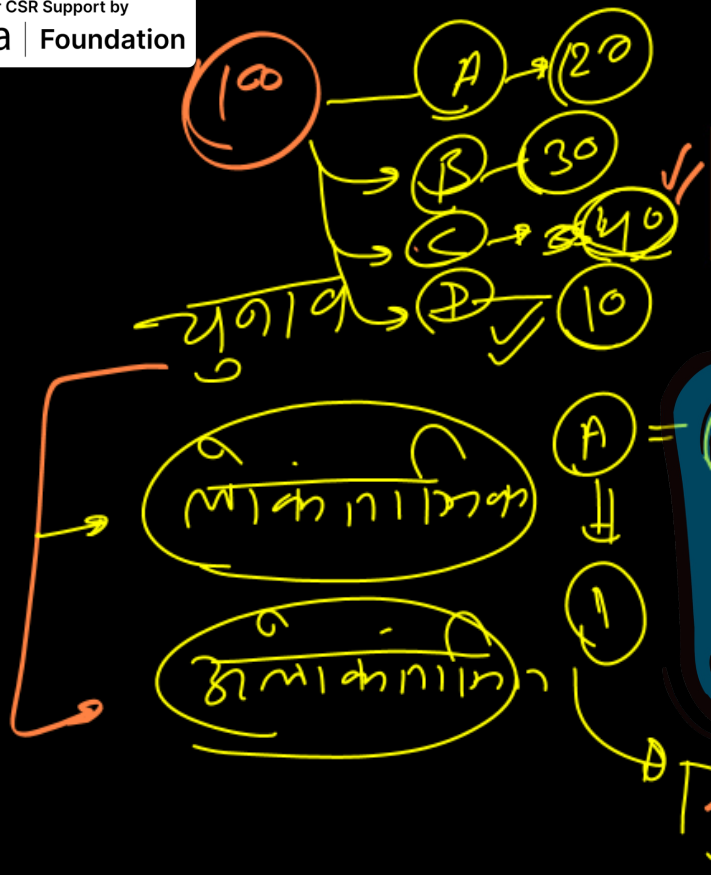

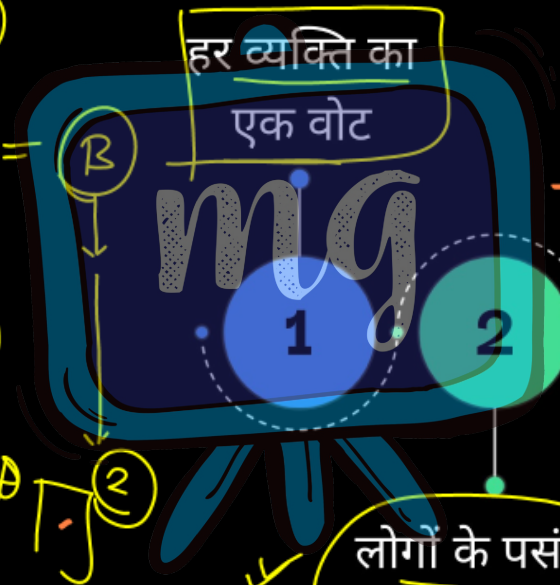

1. हर व्यक्ति का एक वोट
2. लोगों के पसंदीदा उम्मीदवार की जीत
3. चुनाव में कई उम्मीदवार
4. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
5. नियमित अंतराल पर चुनाव

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

चुनावी प्रतिस्पर्धा के दोष

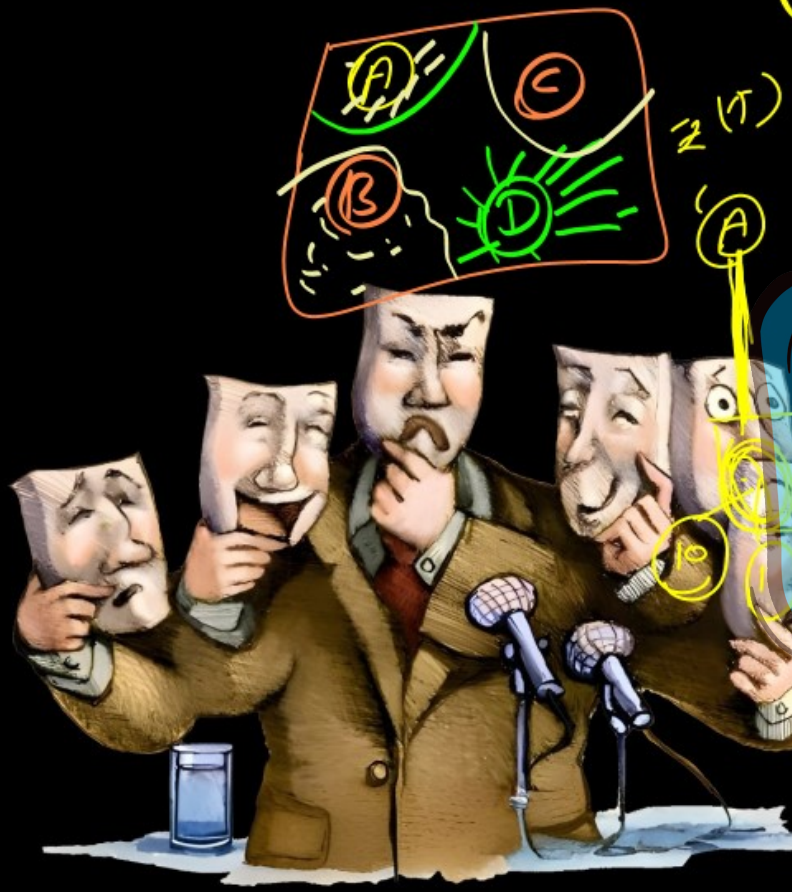

1. एकता में कमी
2. गंदी चालों का प्रयोग
3. दीर्घकालीन नीतियों पर ध्यान का अभाव
4. अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



चुनावी प्रतिस्पर्धा के गुण

चुनाव जीतने के लिए राजनेताओं को जनता के लिए काम करना आवश्यक।

- नेताओं को चुनाव जीतने के लिए जनता की भलाई का प्रयास करना पड़ता है।
- जैसे दुकानदार ग्राहकों को दोबारा बुलाने के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- चुनाव कभी-कभी झगड़े पैदा कर सकते हैं, फिर भी वे महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे नेताओं को जनता के लिए काम करने के लिए बाध्य करते हैं।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

लोकसभा और विधानसभा के चुनाव

- प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव।
- पाँच वर्ष बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त।
- लोकसभा या विधानसभा का भंग होना।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

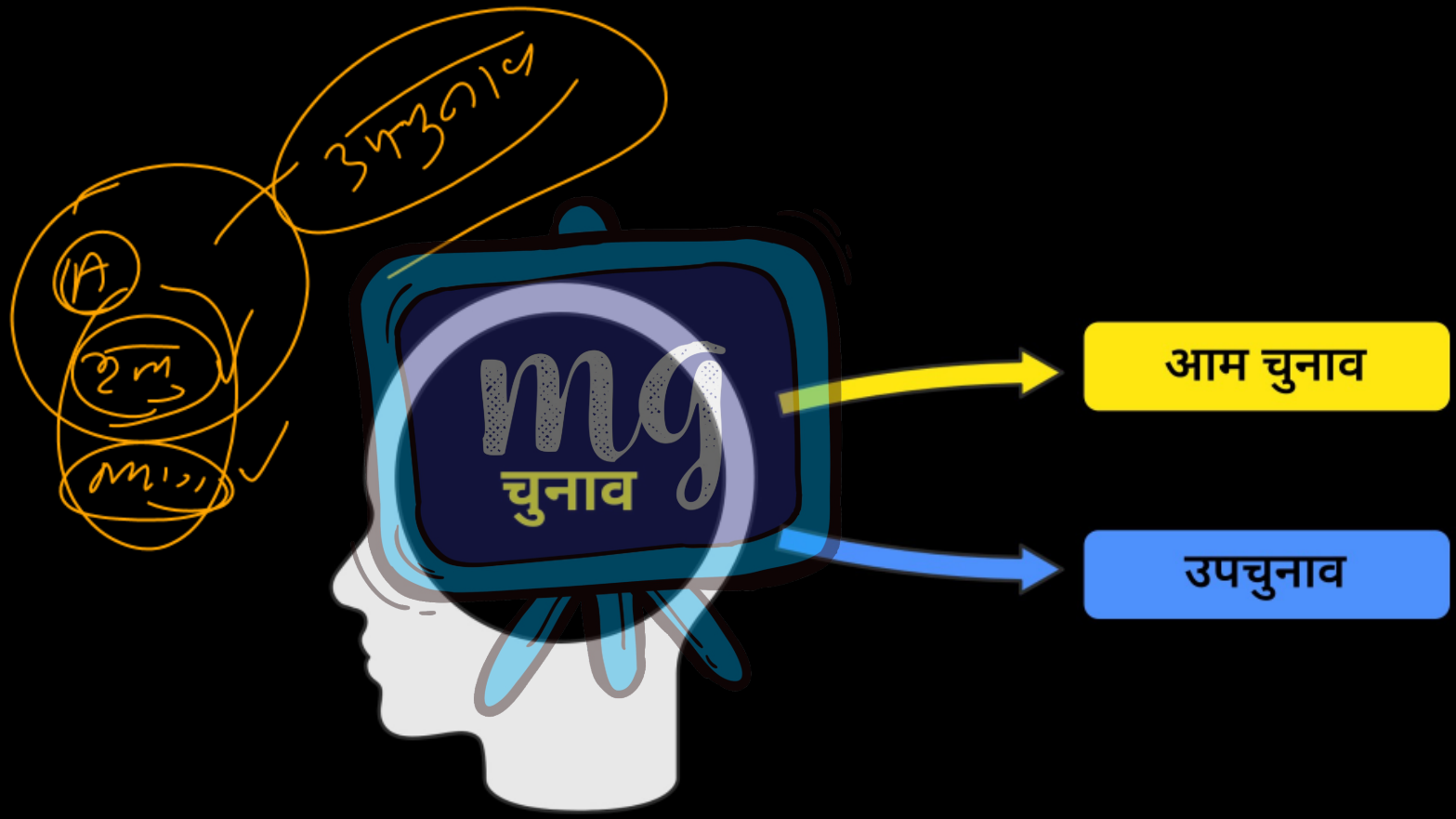

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

आम चुनाव

- सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा कुछ दिनों के भीतर चुनाव।
- **उद्देश्य :** पूरी लोकसभा या विधानसभा के लिए नए प्रतिनिधियों का चुनाव।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

उपचुनाव

- केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव।
- **उद्देश्य :** किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से रिक्त हुए स्थान को भरना।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

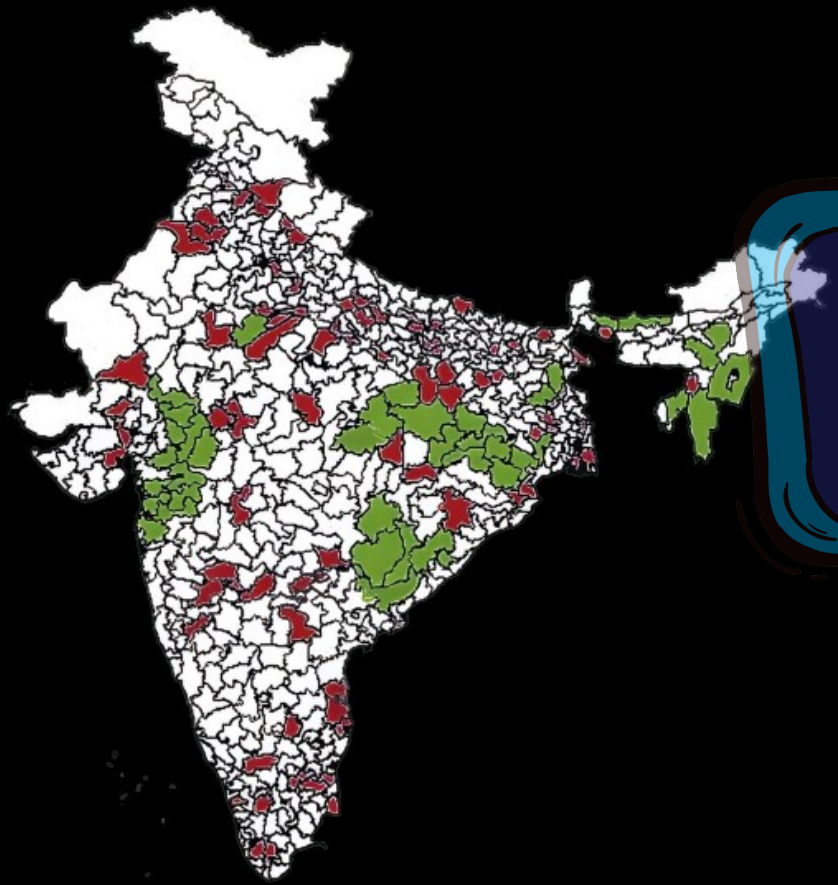

निर्वाचन क्षेत्र

- भारत में चुनाव के लिए क्षेत्र आधारित व्यवस्था।
- पूरे देश का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन।
- इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाना।
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा एक प्रतिनिधि का चुनाव।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

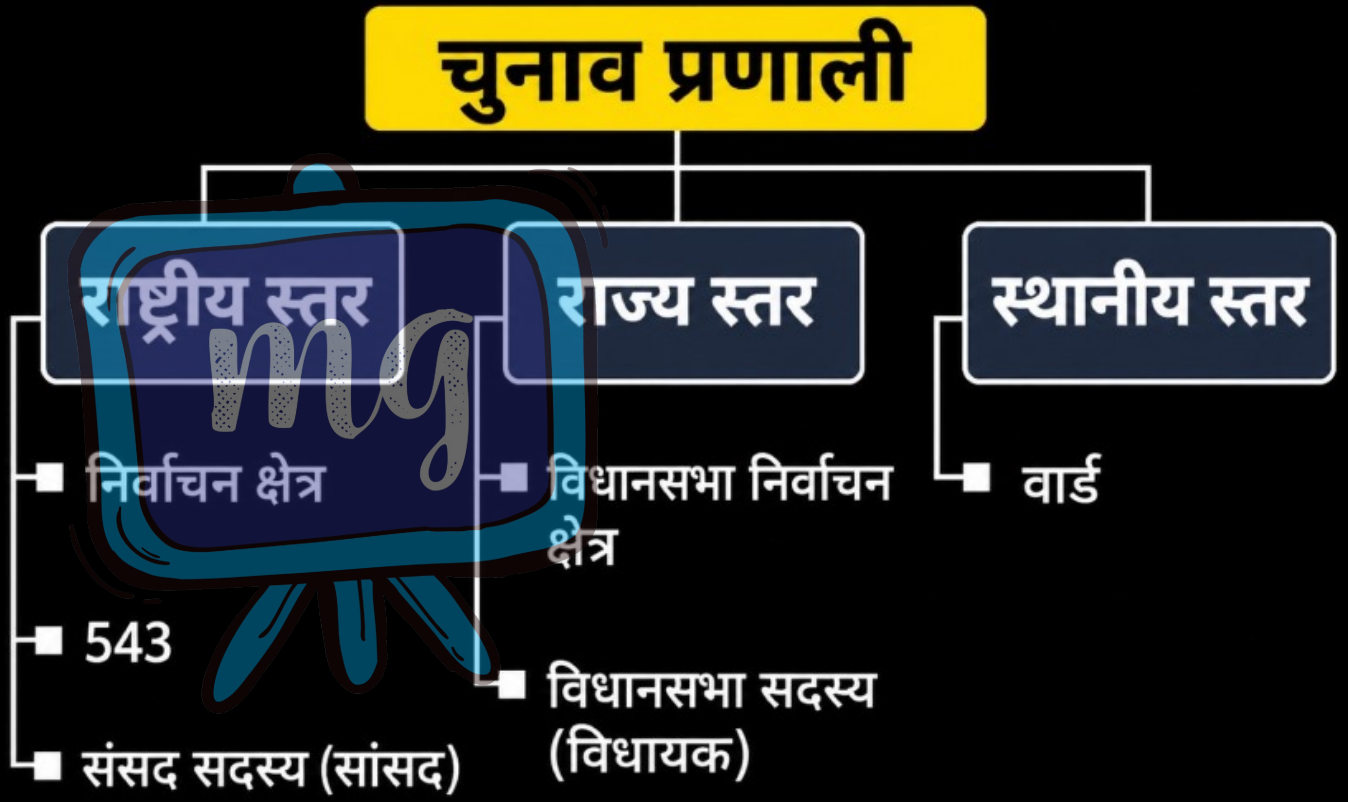

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- भारत में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित।
- अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य।
- अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में भी यही व्यवस्था।
- लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप।
- बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर अन्य कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण व्यवस्था का विस्तार।
- अनेक राज्यों में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटें आरक्षित।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की एक-तिहाई सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023
(नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023)



- महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित :
  - संसद
  - विधानसभाएँ

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- पंचायतों में आरक्षण के समान व्यवस्था।
- **उद्देश्य :** शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कौन वोट दे सकता है?



- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को चुनाव में वोट देने का अधिकार।
- जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना प्रत्येक नागरिक को मताधिकार।
- कुछ अपराधियों और विकृत मानसिक स्थिति वाले व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जाना संभव, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम।